



उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

No- CHG/BLS/LST-38CHG02002

दिनांक -25/03/2022

प्रेषित-

एजेन्ट, चिलहाटी चूनापत्थर खदान,
1 oJh upkdkk foLrkl dki kJ's ku fyfeVM

पोस्ट -गोपालनगर,तहसील-अकलतारा,
जिला-जांजगीर-चंपा(छ.ग.)

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चम्पा जिले मे स्थित आपकी चिलहाती चूना खदान 1085.365 हे. मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 08.03.2022 by undersigned accompanied by Sri Ritesh Kaimal, Head Mines & Shri Narayan Nahak(Mining Engineer & Manager Mine).

Rule	Nature of Violation observed
Rule 48	The holder of a mining lease shall keep a record in Form-J of all shafts or boreholes and shall retain such records but the same is not maintained of 68 bore holes drilled in 2020-21 & 2021-22.
Rule 55	For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,— every holder of a mining lease shall employ, in case of— iii.category 'A' mines, a whole-time mining engineer and a geologist; but it was observed that the whole-time geologist not appointed for the mine.

2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियम 55 के अंतर्गत पूर्णकालिक भूविज्ञानिक का नियोजन ना करने पर रुपया 500000/- का जुर्माना एवम उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत

(ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

उप खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर